प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री **सतीश के. अग्निहोत्री**

रिट याचिका क्र. 6312/2000

याचिकाकर्ता : रामलाल पाटले

बनाम

उत्तरवादीगण : भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 17 मार्च, 2011 को निर्णय व आदेश के उद्घोषणा के लिए सूचीबद्ध करे।

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 6312/2000

याचिकाकर्ता : रामलाल पाटले

बनाम

उत्तरवादीगण : भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 व 227 के तहत रिट याचिकाएँ

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

श्री. पराग कोटेचा : याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री. मुकेश शर्मा : उत्तरवादीगण की ओर से।

निर्णय

(17 मार्च 2011 को पारित)

(1). इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है कि वे याचिकाकर्ता को उच्च श्रेणी सहायक के पद पर पदोन्नत करें, स्नातक भत्ते पर महंगाई भत्ता का भुगतान करें और इसके अलावा याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए अवकाशों का विवरण दें तथा असाधारण अवकाश के लिए अन्य कोई और राशि न काटें।

(2). याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रारंभ में, उनकी नियुक्ति दिनांक 26.03.1963 को संभागीय कार्यालय, जबलपुर में भृत्य के पद पर हुई थी।

तत्पश्चात, दिनांक 25.09.1971 को उन्हें अभिलेख लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया और रायपुर में पदस्थ किया गया। वर्ष 1980 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, दिनांक 01.04.1986 को उन्हें सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया और शाखा क्रमांक 2, रायपुर में पदस्थ किया गया। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादियो द्वारा वर्ष 1997 में उच्च श्रेणी सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित कि गई परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 3 पर रखा गया था। याचिकाकर्ता ने वर्ष 1998 में उक्त पद के लिए फिर से आवेदन किया, जिसमें उत्तरवादी संख्या 2 ने दिनांक 16.11.1998 के पत्र (अनुलग्नक पी/1) द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि साक्षात्कार के लिए उसका नाम शामिल करना संभव नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता को एक वेतन वृद्धि दी गई थी, लेकिन स्नातक भत्ते पर महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1980 में स्नातक उत्तीर्ण किया था। याचिकाकर्ता का आगे निवेदन यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा ली गई अवकाश का विवरण दिए बिना असाधारण अवकाश के लिए उसके वेतन से एक बड़ी राशि (राशि निर्दिष्ट किए बिना) काट ली गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3). याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी III और श्रेणी IV कर्मचारी (पदोन्नति) नियम, 1987 (संक्षेप में 'नियम, 1987') की अनुसूची के तहत पदोन्नति के अपने वास्तविक अधिकार से वंचित किया गया है, पदोन्नति की आवश्यकता अहर्ता जो की सहायक के रूप में 10 साल की सेवा है जिसे याचिकाकर्ता पूरा करता है। श्री कोटेचा ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी III और श्रेणी IV कर्मचारियों (सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1996 (संक्षेप में 'नियम, 1996) के कार्यान्वयन के लिए निर्देशों के खंड 15 के साथ खंड 9 के

प्रावधानों के अनुसार स्नातक भत्ते पर महंगाई भत्ते से भी वंचित किया गया है। श्री कोटेचा ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता असाधारण अवकाश के कारण उत्तरवादियो द्वारा बिना विवरण दिए काटी गई थी, जो विधि में अस्वीकार्य है, को वापस पाने का अधिकार रखता है।

(4). इसके विपरित, उत्तरवादियो की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि 10 वर्ष की सेवा पदोन्नति के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है। इसमें कार्य अभिलेख और साक्षात्कार भी शामिल हैं। इस प्रकार, यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए विचार करने से अवैध रूप से वंचित किया गया था। सभी आवेदकों की प्रवीण सूची, अनुसूची 5 कॉलम (5) के तहत प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई थी, पांच बार यानी पहले 50 आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले 50 के भीतर प्रवीणता हासिल नहीं कर सका, उसे वर्ष 1998-99 के लिए पदोन्नति में साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था। चूंकि चयन ऐसे पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले उम्मीदवारों के बीच किया गया था और याचिकाकर्ता साक्षात्कार के लिए भी योग्य नहीं हो सका, उसका अनुरोध पूरी तरह से अनुचित है और उसे इस आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि वह 1997-1998 की प्रतीक्षा सूची में था प्रतीक्षा सूची केवल तभी प्रभावी होती है जब किसी विशेष पद की रिक्ति, विशेष पदोन्नति के लिए चयनित उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने या अगले वर्ष की पदोन्नति की अधिसूचना से पहले, उक्त अवधि के दौरान कर्मचारी की मृत्यु/सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त रह जाती है। अगले वर्ष की पदोन्नति की घोषणा होते ही प्रतीक्षा सूची निष्क्रिय हो जाती है। उम्मीदवार को नवीन रूप से आवेदन करना होगा और अगले चरण की पदोन्नति में अन्य योग्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया, यह दिखाने के लिए कि वह स्नातक अहर्ता और उसके बाद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

महंगाई भत्ते के लिए उसके वेतन वृद्धि के लिए प्रदान किए गए लाभों से वंचित है। संवर्ग में प्रचलित श्रेणी में वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है और यह वेतन का एक हिस्सा होता है जिस पर महंगाई भत्ता निर्धारित होता है और साथ ही भविष्य निधि कटौती, मकान किराया भत्ता आदि का लाभ भी तय होता है। इतना ही नहीं, जब भी वेतन/संशोधन किया जाता है तो निर्धारण लाभ हमेशा ऐसी वेतन वृद्धि पर विचार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, निर्धारण लाभ की गणना उच्च मूल के लिए की जाती है जिसमें स्नातक वेतन वृद्धि शामिल होती है। जबकि विशेष भत्ता प्रचलित श्रेणी में मूल का हिस्सा नहीं है। वेतनमान के संशोधन के बाद, पूर्व-संशोधन मूल में विशेष भत्ता शामिल करना और संशोधन नियमों के तहत गुणांक पर विचार करना आवश्यक नहीं है। याचिकाकर्ता को सहायक के पद पर पदोन्नति पर दिनांक 01.10.1986 से स्नातक वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ता ने किसी भी दस्तावेज़ से यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें दिनांक 01.08.1992 से दिनांक 11.07.1994 तक महंगाई भत्ते से कैसे वंचित किया गया है। श्री शर्मा ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना अनुपस्थित रहने वाला एक आदतन कर्मचारी है। हालांकि, उनकी अनुपस्थिति को भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी विनियमन) 1960 (संक्षेप में 'विनियमन, 1960') के अनुसार असाधारण अवकाश (यानी बिना वेतन के अवकाश) के रूप में माना गया था। असाधारण अवकाश किसी कर्मचारी के लिए स्वचालित रूप से एक सुविधा नहीं है, लेकिन यह ऐसे कर्मचारी के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है जो उसे सेवा में समाप्ति से बचाता है। चूंकि याचिकाकर्ता ने काम नहीं किया था / कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ था, इसलिए वह 'कार्य नहीं - वेतन नहीं' के आधार पर मजदूरी / वेतन का हकदार नहीं था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो चुका है। आदिवार्षिकी पूर्ण कर सेवनिवृत के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कारण, अनुतोष खंड संख्या 7(iii) प्रदान नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने बिना किसी पूर्व शर्त या विरोध के सभी सेवानिवृत्ति देय राशि स्वीकार कर ली।

(5). पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया, तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

(6). श्री कोटेचा की यह तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता को दिनांक 01.04.1986 से सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्हें उच्चतर श्रेणी सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए था क्योंकि याचिकाकर्ता ने सहायक के वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी, खारिज की जाती है। नियम, 1987 की अनुसूची के अवलोकन पर, यह पाया गया है कि उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए फीडर कैडर की शर्तें अनुभाग प्रमुख या सहायक के वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा और विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना या निर्धारित तकनीकी अहर्ता प्राप्त करना या सहायक के वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा है। लेकिन उसके बाद, पदोन्नति अहर्ता और वरिष्ठता के आधार पर दी जानी है। अहर्ता के लिए अधिकतम अंक 10 और वरिष्ठता के लिए 20 थे, और दोनों के लिए अधिकतम 25 थे। कार्य पूर्ववृत और साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 25 थे। अनुसूची का संबंधित भाग, निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"क्रमांक	कैडर में पदोन्नति हेतु	श्रेणियाँ पात्र	शर्तें पात्रता	आवंटित किये जाने वाले अंक।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5.	उच्चतर श्रेणी	अनुभाग प्रमुख, आशुलिपिक, सहायक और अनुभाग प्रमुख/सहायक के वेतनमान में आने वाले अन्य सभी कर्मचारी।	(क) अनुभाग प्रमुख या (ख) सहायक के वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण या निर्धारित तकनीकी अहर्ता या (ग) सहायक के वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा।	(1). अहर्ता और वरिष्ठता (अधिकतम 10 अहर्ता के लिए और 20 अंक वरिष्ठता के लिए) दोनों के लिए अधिकतम : 25 कार्य पूर्ववृत : 25 साक्षात्कार : 25
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7). याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को क्रम संख्या 3 पर प्रतीक्षा सूची में रखा गया था क्योंकि उसने उच्च श्रेणी सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद, वर्ष 1998 में, याचिकाकर्ता को दिनांक 16.11.1998 के पत्र (अनुलग्नक पी/1) द्वारा साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा सका, जो स्वीकृति के योग्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता पर विधि के अनुसार विचार किया गया और

उसे प्रतीक्षा सूची में रखा गया। हालाँकि, उसे नियुक्त नहीं किया जा सका, संभवतः विभिन्न कारणों से, जिनकी जाँच नहीं की जा सकती क्योंकि उपरोक्त तर्क के अलावा कि उसे अवैध रूप से उच्च पद पर पदोन्नति से वंचित किया गया है, कोई अन्य सामग्री या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, चूँकि कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए यह जानना कठिन है कि क्या याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा के बाद योग्य था और क्या उसने वरिष्ठता और अहर्ता में उसके बाद साक्षात्कार में अर्हक अंक प्राप्त किए थे, , इस आधार पर भी कोई न्यायनिर्णयन संभव नहीं है। तथ्य यह है कि जब याचिकाकर्ता योग्य हुआ तो उसे पदोन्नति के लिए विचार किया गया था। चयन सूची में, उसे नियुक्ति हेतु अपेक्षित स्थान नहीं मिल सका। चूँकि कोई दोष नहीं दर्शाया गया है या यह भी नहीं दर्शाया गया है कि कोई अनियमितता थी या वैधानिक नियमों का पालन नहीं किया गया था, अतः यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता को अवैध रूप से पदोन्नति से वंचित किया गया था। अतः, याचिकाकर्ता का पूर्वोक्त तर्क अस्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8). स्नातक वेतन वृद्धि पर महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर स्नातक वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी और इस प्रकार, याचिकाकर्ता स्नातक वेतन वृद्धि पर भी महंगाई भत्ते का हकदार था। उत्तरवादियो ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता को स्नातक वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी और उसके बाद वह वेतन का अभिन्न अंग बन गई जिस पर महंगाई भत्ता देय था और जिसका भुगतान याचिकाकर्ता को विधिवत किया गया था। उत्तरवादियो ने याचिकाकर्ता के वेतन पर महंगाई भत्ते के अनुदान को दर्शाते हुए एक विस्तृत चार्ट प्रस्तुत किया है जिसमें स्नातक वेतन वृद्धि भी शामिल है। याचिकाकर्ता द्वारा स्नातक वेतन वृद्धि प्रदान करना भी स्वीकार किया गया है।

(9). नियम 1996 के नियम 9 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि नियमों के तहत परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले विशेष भत्ते को महंगाई भत्ते में नहीं गिना जाएगा। हालाँकि, स्नातक भत्ता विशेष भत्ते से अलग है जो वेतन का अभिन्न अंग बन जाता है। उत्तरवादियो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महंगाई भत्ते की गणना याचिकाकर्ता को नियमित रूप से दिए जाने वाले कुल वेतन के आधार पर की जाती है। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक दिनांक 10.04.1999 (अनुलग्नक P/5) में दिए गए अभ्यावेदन में कहा गया है कि उसे स्नातक वेतन वृद्धि पर महंगाई भत्ता/आवास भत्ता मिलने के प्रश्न का उत्तर उत्तरवादी द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन उनके जवाबदावा में इसे स्पष्ट कर दिया गया है। नियम, 1996 के तहत, याचिकाकर्ता 1000 रुपये प्रति माह के भुगतान का हकदार नहीं है क्योंकि उसे 01.04.1989 से पहले स्नातक भत्ता मिल रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10). जहाँ तक याचिकाकर्ता की तीसरी अनुतोष का सवाल है कि वह उस अवधि के लिए भुगतान पाने का हकदार है जब उसकी अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश माना गया था, उत्तरवादियो का तर्क है कि निरंतरता बनाए रखने के लिए, याचिकाकर्ता की अनधिकृत अनुपस्थिति को असाधारण अवकाश माना गया था। हालाँकि, 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर भुगतान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने इस याचिका में अपने द्वारा ली गई अवकाश का विवरण देने और असाधारण अवकाश के लिए कोई और राशि नहीं काटने का निर्देश देने की माँग की है, जो नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह बहुत ही असामान्य है कि यदि विवरण नहीं दिया जाता है, तो अवधि को असाधारण अवकाश नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, यह तर्क भी खारिज किया जाता है।

(11). उपर्युक्त कारणों से, इस मामले में कोई सार नहीं है। परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(12). वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

एसडी/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by:- Gajendra Prakash Sahu